रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2347] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2014/कार्तिक 26, 1936
No. 2347] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2014/KARTIKA 26, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2014

का.आ. 2927(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिसके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या इलैक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पते esz-mef@nic.in को भेज सकेंगे ।

प्रारूप अधिसूचना

दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है उसे 91.39 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो दमण गंगा नदी के लिए एक महत्वपूर्ण जलसंभर है ।

और अभयारण्य पैन्थर, लकड़बग्घा, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, चार सिंह वाला हिरन, सियार, नीलगाय, सांबर मृग और चीतल मृग जैसे विभिन्न जंतुओं तथा काली अंगारक, बुलबुल, कौड़िल्ला (किंगफिशर), बगुला, होपे (हुदहुद) मैना, वक, लाल जंगली मुर्गा जैसी विभिन्न प्रकार की चिड़ियों की प्रजातियों से समृद्ध है ;

और अभयारण्य से सटे हुए क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करने तथा उसमें वन्य जीवों और वहां के वातावरण की संरक्षा तथा उसके और सुधार करने की आवश्यकता है ।

और दादर और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के कतिपय क्षेत्र को परिस्थितिकी संवेदनशील जोन के रुप में विनिर्दिष्ट करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों अथवा उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करण के वर्गों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है;

अत: केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से सभी ओर के सौ मीटर तक के क्षेत्र को या अभयारण्य के पास से गुजरने वाली विद्यमान सड़क के दायी ओर के क्षेत्र को (अभयारण्य की ओर का) इसमें से जो भी कम हो, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रुप में घोषित करती है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का विस्तार और सीमाएं :- (1) दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन 26.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उसमें 36 गांव स्थित हैं।

(2) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का विस्तार, दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 100 मीटर तक या अभयारण्य के पास से गुजरने वाली विद्यमान सड़क के दायीं ओर (अभयारण्य की ओर का) के क्षेत्र तक इसमें से जो भी कम हो, है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का नक्शा उपाबंध 1 पर है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में आने वाले गांवों की सूची उपाबंध-2 में है।

2. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान - (1) दमण और द्वीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विचार और अनुमोदन हेतु स्थानीय व्यक्तियों की तथा निम्नलिखित संबंधित स्थानीय स्वायत शासन और संबंधित विभागों की परामर्श से एक जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण
(ii) वन,
(iii) शहरी विकास,
(iv) पर्यटन,
(v) कृषि,
(vi) नगरपालिका,
(vii) राजस्व,
(viii) लोक निर्माण विभाग,
(ix) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
(x) जल संसाधन,
(xi) सिंचाई,
(xii) उद्यान,
(xiii) पंचायती राज, और
(xiv) ग्रामीण विकास,

एकीकृत पर्यावरणीय और पारिस्थितकीय विचारों के लिए।

(2) जोनल मास्टर प्लान में वन विरहित क्षेत्रों का प्रत्यास्थापन, विद्यमान जलाशयों का संरक्षण, जल संग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, जल विभाजन का प्रबंधन, भू जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकता और ऐसे पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय अन्य पहलू, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध किया जाएगा।

(3) जोनल मास्टर प्लान में अन्य बातों के साथ-साथ आमोद प्रमोद संबंधी मूल्य वनों के प्रकार और रुप, कृषि क्षेत्र, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र उद्यान क्षेत्र, बागीचे, लेख और अन्य जल निकायों सहित सभी विद्यमान और प्रस्तावित ग्राम बंदोबस्त, नगरीय बंदोबस्त, पूजा स्थलों, सांस्कृतिक मूल्य के क्षेत्रों को सीमांकित किया जाएगा।

(4) जोनल मास्टर प्लान में पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के नीचे विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट होंगे जो केंद्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

3. संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय – इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) भूमि उपयोग -

(क) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित वनों, उद्यान क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्य या उद्योग संबंधी विकास के क्रियाकलापों हेतु उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

परंतु पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर संघ राज्यक्षेत्र की पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पूर्व अनुमोदन से केवल स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और पैरा 4 में की सारणी के स्तंभ (2) के नीचे विनिर्दिष्ट मद संख्या 11, 15, 22, 23 और 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए अर्थात् (i) वर्षा जल संचय (ii) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं (iii) प्रदूषण उत्पन्न वाले लघु उद्योग (iv) सड़कों का विस्तारण और (v) सन्निर्माण क्रियाकलाप कृषि भूमि का संपरिवर्तन अनुज्ञात हो सकेगा ।

(ख) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पूर्व अनुमोदन के बगैर और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंध जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का पालन किए बिना जनजातीय भूमि का वाणिज्य और औद्योगिक से संबंधित विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ग) हरित क्षेत्र अर्थात् वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और वैसे ही स्थानों पर कोई पारिणामिक कमी नहीं की जाएगी ।

भू अभिलेखों पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर में प्रकट किसी भूल को संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति प्रत्येक मामले में केवल एक बार (यू ई एस जेड एम सी) के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सुधार किया जाएगा और उक्त भूल के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपरोक्त भूल का सुधार करने के अंतर्गत इस उप पैरा के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भूमि उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं है ।

(2) पर्यटन - पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर पर्यटन संबंधी ऐसे क्रियाकलाप जो जोनल मास्टर प्लान का भाग है निम्नानुसार होगा अर्थात् :—

(i) विधमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार किए गए पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर होगा ।

(ii) पर्यटन मास्टर प्लान, संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की विस्तृत वहन क्षमता अध्ययन पर आधारित होगा और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त विषय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा और उसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर बल दिया जाएगा,

(iii) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर होटल और आग्मय स्थलों का नवीन सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन होने तक विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, वास्तविक स्थल की विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर और संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति की सिफारिशों पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) **ध्वनि प्रदूषण** -- संघ राज्यक्षेत्र का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियम तैयार करेगा ।

(4) **वायु प्रदूषण** -- संघ राज्यक्षेत्र का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियम तैयार करेगा ।

(5) **बहिस्रावों का निस्सारण** - उपचारित बहिस्राव जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुरुप होगा ।

(6) **ठोस अपशिष्ट** – ठोस अपशिष्ट का व्ययन निम्नानुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ठोस अपशिष्ट का व्ययन केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 908 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा,

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण संघटकों में ठोस अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेगा ।

(iii) जैव निम्नीकरण सामग्री के अधिमानत: खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुन:चक्रित किया जाएगा ।

(iv) अकार्बनिक सामग्री का व्ययन पर्यावरणीय रुप से स्वीकार्य रीति में किया जाएगा ।

(v) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या उसका भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(7) यानीय यातायात – (क) यातायात की यानीय गतिविधियां विनियमित होंगी और विनिर्दिष्ट उपबंध जोनल मास्टर प्लान में अधिकथित किए जाएंगे ।
(ख) जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने तक संघ राज्यक्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानिटरी समिति नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय संचालन के अनुपालन को मानिटर करेगी ।

(8) प्राकृतिक विरासत -- पारिस्थितिकी संवेदनशील जोनमें की जीन पूल आरक्षित क्षेत्रों, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपात, झरेन, घाटी मार्ग, उपवन, गुफाएं, स्थल, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टान आदि जैसे सभी मूल्यवान प्राकृतिक विरासत के स्थलों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके सरंक्षण और संभारण के लिए उचित योजना की जाएगी और ऐसी योजनाएं जोनल मास्टर प्लान का भाग होंगी ।

(9) मानव निर्मित विरासत स्थल -- पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और संस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम रुपों क्षेत्रों और प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी ओर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी और उन्हें जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची – (1) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में की सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	संप्रवर्तित	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	वाणिज्यक खनन पत्थर के उत्खनन और तोड़ने की इकाइयां	हां			(क) सभी प्रकार का खनन (लघु और मुख्य खनिज), पत्थर के उत्खनन और तोड़ने वाली इकाइयों का प्रतिषेध होगा ।
					(ख) आई ए 1000 टी एन गोदावर्मन बनाम भारत संघ वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर मकानों के सन्निर्माण या मरम्मत के लिए और व्यक्तिगत उपयोग हेतु और वास्तविक घरेलू आवश्यकता के लिए मकान का निर्यात करने हेतु देशी टाइल्स या ईटों के विनिर्माण के लिए भूमि की खुदाई का भी प्रतिषेध होगा । परंतु अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी तक और पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के विस्तार तक मकान के सन्निर्माण या मरम्मत के

					लिए और व्यक्तिगत उपयोग हेतु और वास्तविक घरेलू आवश्यकता के लिए मकान का निर्माण करने हेतु देशी टाइल्स या ईटों के विनिर्माण के लिए स्थानीय निवासियों को लागू विधियों और नियमों के अधीन रहते हुए भूमि की खुदाई अनुज्ञात होगी ।
2.	वृक्षों की कटाई		हां	--	(क) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जाएगा । (ख) वृक्षों की कटाई तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अनुसार विनियमति होगी ।
3.	आरा मशीनें लगाना	हां	--	--	
4.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) फैलाने वाले उद्योग लगाना ।	हां	--	--	
5.	वाणिज्यिक होटलों या .....गृहों रिसाल्ट की स्थापना	हां	--	--	पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर कोई नवीन वाणिज्यिक होटल और आश्रम गृह (रिसाल्ट) अनुज्ञात नहीं होंगे ।
6.	जलाऊ लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	हां	--	--	
7.	जल संसाधनों का जिसके अंतर्गत भू जल संचय भी है, का वाणिज्यिक उपयोग	--	हां	--	(क) भू अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल (भू पृष्ठजल और भूगर्भजल) का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपभोग के लिए भू पृष्ठजल और भूगर्भजल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भू पृष्ठजल बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन सिंचाई विभाग) से पहले अपेक्षित होगी, जिसके अंतर्गत ऐसी मात्रा भी है जो निकाली जा सकती है । (ग) भू पृष्ठजल और भूगर्भजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कृषि भी है।
8.	नवीन मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां	--	--	
9.	विद्युत के बल और दूर संचार टावरों का परिनिर्माण	--	हां	--	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन करना ।
10.	स्थानीय समितियों द्वारा चालू कृषि और बागवानी परियोजनाएं	--	--	हां	जोनल मास्टर प्लान के अनुसार
11.	वर्ष जल संचय	--	--	हां	सक्रिय रुप से संवर्धित किया जाएगा ।
12.	होटलों और लॉज परिसरों में बाड़ लगाना	--	हां	--	
13.	जैविक खेती	--	--	हां	सक्रिय रुप से संवर्धित किया जाएगा ।

14.	नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग	--	--	हां	सक्रिय रूप से संवर्धित किया जाएगा ।
15.	विद्यमान सड़कों का चौड़ाकरण और मज़बूत बनाना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण	--	हां	--	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और ऐसे शमन उपाय, जो लागू हों, के अनुसार किया जाएगा ।
16.	रात्रि के समय यानीय यातायात का संचालन	--	हां	--	(क) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए (ख) संवेदनशील स्थानों पर उपयुक्त बैरियरों का परिनिर्माण
17.	किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग का उत्पादन	हां	--	--	
18.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	हां	--	--	
19.	प्राकृतिक जलाशयों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	--	हां	--	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचर्क्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और अवमल या ठोस अपशिष्टों के व्ययन के लिए विद्यमान विनियमों का अनुसरण किया जाएगा ।
20.	वायु और यानीय प्रदूषण	--	हां	--	
21.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स	--	हां	--	
22.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार भी हैं	--	--	हां	
23.	प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग	--	हां	--	पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषक, गैर परिसंकटमय ऐसे लघु और सेवा उद्योग, कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं ।
24.	नवीन काष्ठ आधारित उद्योग	हां	--	--	पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर किसी नवीन काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
25.	वन उत्पाद या गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण	--	हां	--	
26.	संन्निर्माण क्रियाकलाप	हां	--	--	पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में किसी प्रकार का कोई नवीन संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा परंतु स्थानीय व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर संन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।
27.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	--	--	
28.	विदेशज जाति के पौधों का समावेशन	--	हां	--	

5. **संघ राज्यक्षेत्र दमण और द्वीव तथा दादरा और नागर हवेली के लिए संघ राज्यक्षेत्रीय स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति** -

केंद्रीय सरकार पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए संघ राज्यक्षेत्र दमण और द्वीव तथा दादरा और नागर हवेली के लिए संघ राज्यक्षेत्रीय स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन **मानीटरी समिति**, नामक एक समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र दमण और द्वीव तथा दादरा और नागर हवेली – अध्यक्ष ;

(ख) विशेष सचिव, पर्यावरण और वन विभाग और मुख्य वन संरक्षक – सदस्य ;

(ग) मुख्य वन्यजीव वार्डन, संघ राज्यक्षेत्र दमण और द्वीव तथा दादरा और नागर हवेली – सदस्य ;

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि – सदस्य ;

(ड.) उपवनपाल (प्रादेशिक), दादरा और नागर हवेली – सदस्य ;

(च) सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण समिति, दमण और द्वीव तथा दादरा और नागर हवेली – सदस्य;

(छ) निवासी उपकलक्टर, सिलवासा — सदस्य ;

(ज) निवासी उपकलक्टर, खानवेल — सदस्य ;

(झ) मुख्य नगर योजनाकार, दादरा और नागर हवेली – सदस्य;

(अ) सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिकारी, दादरा और नागर हवेली – सदस्य;

(ट) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का एक सदस्य दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नाम निर्दिष्ट – सदस्य;

(ठ) उपवनपाल (वन्यजीव) दादरा और नागर हवेली – सदस्य सचिव;

(2) संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानिटर करेगी ।

(3) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533, तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में आते हैं और पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के अंतर्गत आते हैं, इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाउपबंधित प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति संवीक्षा की जाएगी और अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) ऐसे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533, तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में नहीं आते हैं किंतु पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में आते हैं, इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाउपबंधित प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(5) संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति का सदस्य सचिव या संबंधित जिला कलक्टर या वन्यजीव अभयारण्य या भारसाधक प्रभागीय वन अधिकारी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा जिसने इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन किया है ।

(6) संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति मुद्दे दर मुद्दे के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए विचार विमर्श करने में अपनी सहायता के लिए संबंधित विभागों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों उद्योग संगमों से प्रतिनिधियों को या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति **उपाबंध 3** में दिए गए रूप विधान के अनुसार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक की गई कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत कर सकेगी ।

(8) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय-समय पर संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावशाली निर्वहन के लिए निदेश देगी ।

[फा. सं 25/26/2014/आर आई/ईएमजेड]

डॉ. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक (बी)

उपाबंध–1

पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन का मानचित्र

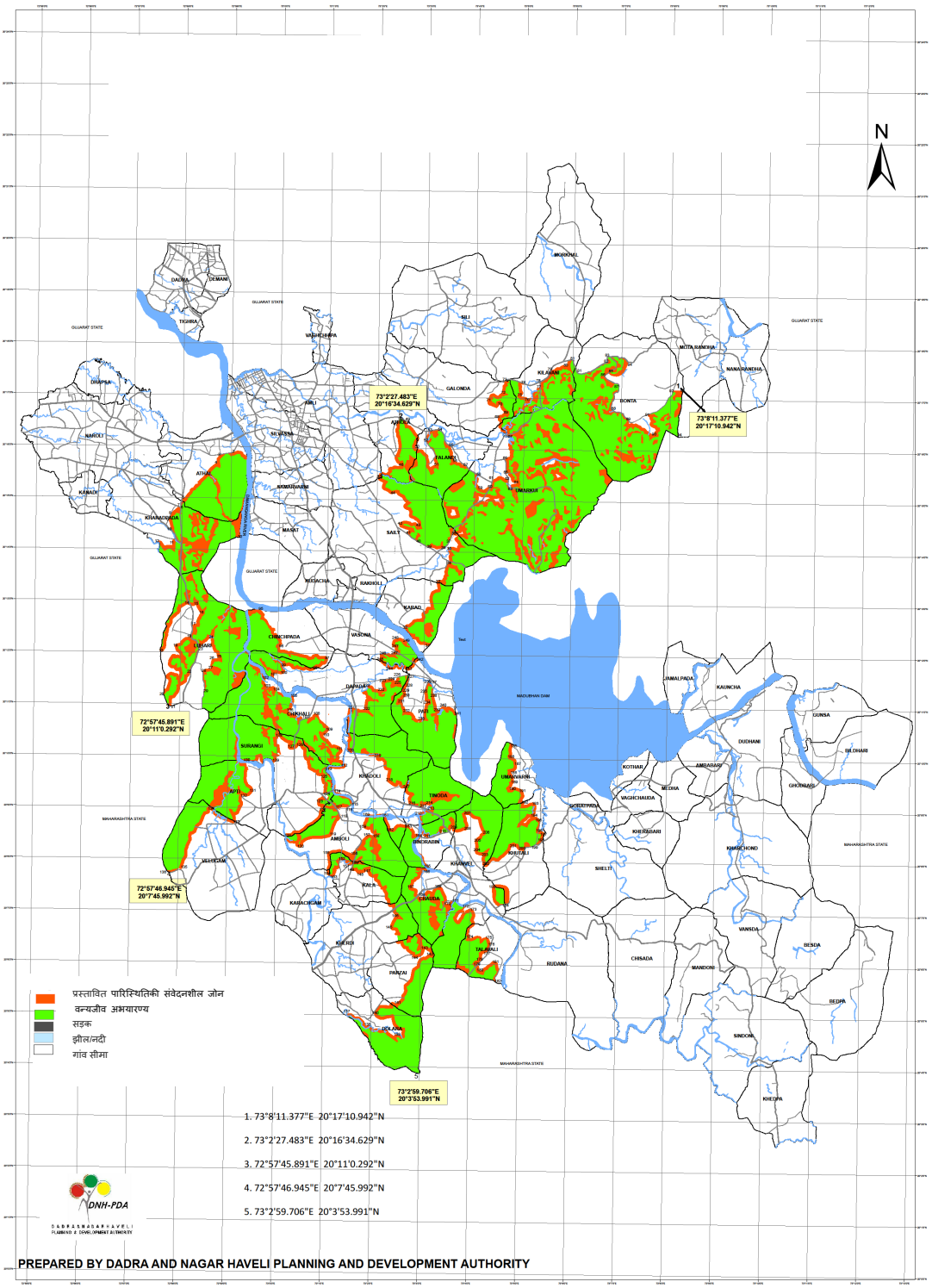

उपाबंध – 2

दादरा और नागर हवेली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के भीतर आने वाले गांवों की सूची

सी.नं.	गांव का नाम
1	अथल
2	खरपडा
3	लुहारी
4	चींचपड़ा
5	वासोना
6	दापदा
7	पाति
8	चिकली
9	सुरंगी
10	आपति
11	खादोली
12	उमरवानी
13	टिनोदा
14	खुटली
15	खानवेल
16	शेलटी
17	अम्बोली
18	वेलुगाम
19	ब्रिंद्राबिन
20	कला
21	छौडा
22	कराचगाम
23	तालवाली
24	पारज़िअ
25	डोलारा
26	सिल्ली
27	किलवानी
28	बोंटा
29	गोलन्दा
30	अमिली
31	अथोला
32	सायाली
33	काराड
34	फालंदी
35	उमर्कुइ
36	खेरदी

उपाबंध - 3

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा – संघ राज्यक्षेत्रीय स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत्त - कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित जोनल मास्टर प्लान तैयार करने की प्रास्थिति (पारिस्थितिकी संवेदनशील जोनवार)
4. भू अभिलेख को देखने से प्रकट गलतियों की परिशुद्धि के मामलों का संक्षिप्त विवरण (पारिस्थितिकी संवेदनशील जोनवार) उपाबंध के रूप में ब्यौरे संलग्न करें ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप के लिए संवीक्षित मामलों का संक्षिप्त विरण (पारिस्थितिकी संवेदनशील जोनवार) उपाबंध के रूप में ब्यौरे संलग्न करें ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत न आने वाले क्रियाकलाप के लिए संवीक्षित मामलों का संक्षिप्त विरण (पारिस्थितिकी संवेदनशील जोनवार) उपाबंध के रूप में ब्यौरे संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज परिवादों का संक्षिप्त विवरण (पारिस्थितिकी संवेदनशील जोनवार)
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014

S.O. 2927(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary is situated in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, is spread across an area of 91.39 square kilometers and forms an important watershed area for Daman Ganga River;

AND whereas, the Sanctuary is rich in faunal diversity like Panther, Hyaena, Fox, Wild-Cat, Four Horned Antelope, Jackal, Nilgai, Sambar Deer and Chital Deer and several bird species like Black Drongo, Bulbul, Kingfisher, Egret, Hoopoe, Myna, Heron, Red Jungle Fowl;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area adjoining the Sanctuary and to protect and propagate improvement of the wildlife therein and its environment;

And whereas, it has become necessary to specify certain areas around the Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to One Hundred Metres (100 Metres) from the boundary of the protected area of Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary on all sides or up to the right of way (Sanctuary side) of an existing road passing near the Sanctuary, whichever is less, as an Eco-Sensitive Zone details of which are as under, namely:—

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone (ESZ) around Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary is spread over an area of 26.57 Square kilometer and 36 villages situated in the Eco sensitive zone.

(2) The extent of ESZ is 100 meters on all sides of Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary or upto the right of way (Sanctuary side) of an existing road passing near the Sanctuary, whichever is less.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone is at **Annexure-I**.

(4) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is at **Annexure – II**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The Administration of Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli shall, for the purpose of the effective management of Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change in consultaion with the local people and with the following concerned Local Self Governments and the concerned Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Agriculture,

(vi) Municipal,

(vii) Revenue,

(viii) Public Works Department,

(ix) State Pollution Control Board,

(x) Water Resources,

(xi) Irrigation,

(xii) Horticulture,

(xiii) Panchayati Raj, and

(xiv) Rural Development,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(2) The Zonal Master plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(3) The Zonal Master Plan shall, *inter alia,* demarcate all the existing and proposed village settlements, urban settlements, worshipping places, areas of cultural value including recreational value, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(4) The Zonal Master Plan shall contain the measures as may be specified by the Central Government or Union Territory Administration for regulation of the activities specified under column (2) of the table in paragraph 4.

3. Measures to be taken by the Union Territory Administration.- The Union Territory Administration shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(i) Land Use:-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Union Territory level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (UESZMC), and with the prior approval of the Union Territory Administration, only to meet the residential needs of the local residents and for the activities listed at item numbers 11, 15, 22, 23 and 26, specified under column (2) of the table in paragraph 4, namely:- (i) rainwater harvesting, (ii) cottage industries including village artisans etc. (iii) small scale industries not causing pollution, (iv) widening of roads and (v) construction activity:

(b) No use of tribal land shall be permitted for commercial or industrial related development activities without the prior approval of the Union Territory Administration and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(c) There shall be no consequential reduction in green area such as forest area, agriculture area and the like places

Any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory administration, after obtaining the views of UESZMC, only once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(2) Tourism.- The activity relating to tourism within the Eco-sensitve Zone which shall from part of the Zonal Master Plan shall be as under, namely:-

(i) Expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan prepared by the Union Territory Administration.

(ii) The Tourism Master Plan shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Protected Area as well as the Eco-sensitive Zone and shall be in line with the guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (NTCA), Ministry of Environment, Forests and Climate Change on the subject and with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone;

(iv) Till the Zonal Master Plan is approved, expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific conditions and recommendations of the Union Territory Level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee.

(3) **Noise pollution. -** the Environment Department of the Union Territory Administration shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone as per the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(4) **Air Pollution.-**The Environment Department of the Union Territory Administration shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone as per the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(5) **Discharge of effluents.-**The treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

(6) **Solid Wastes.-** Disposal of solid wastes shall be carried out as under, namely:- (i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 issued by the Central Government vide notification number, S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 and amended from time to time;

(ii) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed off in an environmentally acceptable manner;

(v) No burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(7) **Vehicular Traffic**: (a) The vehicular movement of traffic shall be regulated and specific provisions shall be laid down in the Zonal Master Plan.

(b) Till such time the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change the Union Territory Level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement as per the extant rules and regulations.

(8) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and proper plan be drawn up for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(9) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance in the Eco-sensitive Zone shall be identified and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

4. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.- (1) All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Promoted	remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units	Yes	-	-	(a) All types of mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited. (b) Digging of earth for construction or repair of houses and manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption and for the domestic needs of *bona fide* needs shall also be prohibited within one Kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary as per the interim order of the Hon'ble Supreme Court in IA 1000 in TN Godavarman Vs Union of India: Provided that beyond one Kilometer distance from the boundary of the Sanctuary and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, digging of earth for construction or repair of houses and manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption and for the domestic needs of *bona fide* local residents may be allowed subject to applicable laws and rules.
2.	Felling of trees	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private lands, without the prior permission of the competent authority in the Union Territory Administration (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant laws for the time being in force.
3.	Setting of saw mills	Yes	-	-	
4.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc)	Yes	-	-	
5.	Establishment of commercial hotels and resorts	Yes	-	-	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone
6.	Commercial use of firewood	Yes	-	-	
7.	Commercial use of water resources	-	Yes	-	(a)The extraction of water(surface and ground water) for *bona fide*

	including ground water harvesting				agricultural and domestic consumption of the occupier of the land shall be allowed. (b) Extraction of surface or ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the concerned Regulatory Authority(Union Territory Administration Ground Water Board/Union territory Administration irrigation Department). (c) No sale of surface/ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.
8.	Establishment of new major hydroelectric projects	Yes	-	-	
9.	Erection of electrical cables and telecommunication towers	-	Yes	-	Promote underground cabling
10.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities	-	-	Yes	As per Zonal Master plan
11.	Rain Water harvesting	-	-	Yes	Shall be actively promoted
12.	Fencing of premises of Hotels and Lodges	-	Yes	-	
13.	Organic farming	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
14.	Use of renewable energy sources	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
16.	Movement of vehicular traffic at night	-	Yes	-	(a) For commercial purpose. (b) Suitable barriers to be erected at sensitive locations
17.	Use or production of any hazardous substances	Yes	-	-	
18.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area	Yes	-	-	
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or terrestrial area	-	Yes	-	Recycling of treated effluent be encouraged and for disposal of sludge or solid waste the existing regulations shall be followed.
20.	Air and vehicular pollution	-	Yes	-	-

21.	CommercialSign boards and hoardings	-	Yes	-	-
22.	Cottage industries including village artisans etc.	-	-	Yes	-
23.	Small scale industries not causing pollution	-	Yes	-	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
24.	New wood based industry	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco Sensitive Zone.
25.	Collection of Forest produce or Non-timber Forest Product	-	Yes	-	-
26.	Construction Activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed in the Eco-sensitive Zone :Provided that, local people shall be allowed to undertake construction in their land for their residential use with the prior permission from the Competent Authority.
27.	Use of plastic carry bags	Yes	-	-	-
28.	Introduction of exotic Species		Yes		

5. The Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (UESZMC) for the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli -

The Central Government, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee, to be called Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee for the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli comprising of the following, namely:—

(a) Administrator, Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli – Chairman;

(b) Special Secretary, Environment and Forests Department and Chief Conservator of Forests, Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli – Member

(c) Chief Wildlife Warden, Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli – Member

(d) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change- Member;

(e) Deputy Conservator of Forests (Territorial), Dadra and Nagar Haveli -Member;

(f) Member Secretary, Pollution Control Committee, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli - Member;

(g) Resident Deputy Collector, Silvassa - Member;

(h) Resident Deputy Collector, Khanvel - Member;

(i) Chief Town Planner, Dadra and Nagar Haveli - Member;

(j) Survey and Settlement Officer, Dadra and Nagar Haveli- Member;

(k) One Representative of Non-Governmental Organisation working in the field of Environment (to be nominated by Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli)- Member;

(l) Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Dadra and Nagar Haveli- Member Secretary.

(2) The Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) In case of activities that are covered in the Schedule of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone except the prohibited activities as provided under paragraph 4 to this notification, shall be scrutinised by the Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone except the prohibited activities as provided under paragraph 4 to this notification, shall be scrutinised by the Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee or the concerned District Collector or the Divisional Forest Officer in charge of the Wildlife Sanctuary shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change as per pro forma given in **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall give directions, from time to time, to the UESZMC for effective discharge of its functions.

[F.No. 25/26/2014-RE/ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone

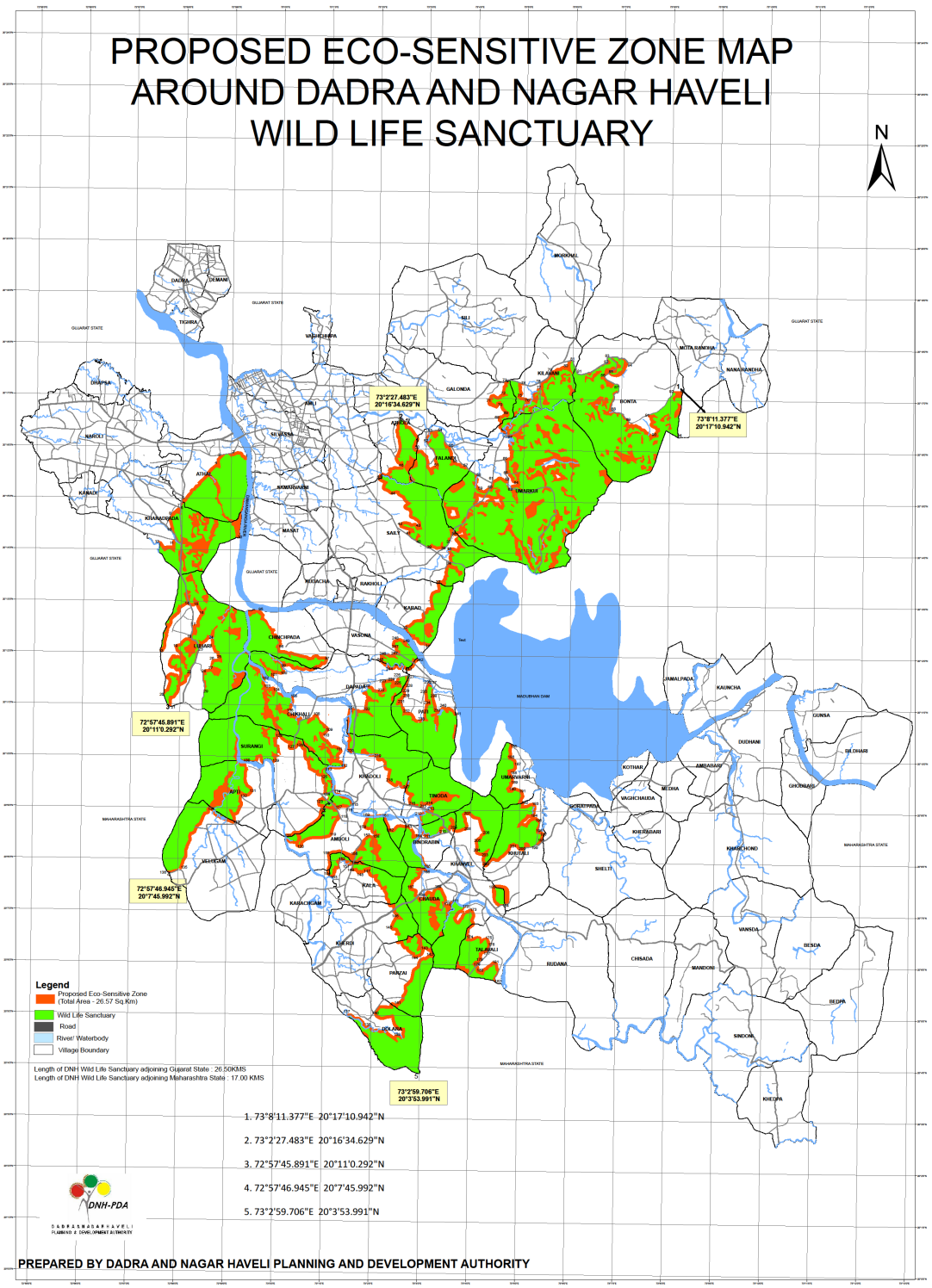

Annexure II

List of Villages falling Within Eco Sensitive Zone of Dadra and Nagar Haveli Wildlife Sanctuary

S.No.	Village Name
1	Athal
2	Kharapada
3	Luhari
4	Chinchpada
5	Vasona
6	Dapada
7	Pati
8	Chikali
9	Surangi
10	Apti
11	Khadoli
12	Umarvani
13	Tinoda
14	Khutli
15	Khanvel
16	Shelti
17	Amboli
18	Velugam
19	Brindrabin
20	Kala
21	Chauda
22	Karachgam
23	Talavali
24	Parzia
25	Dolara
26	Silli
27	Kilwani
28	Bonta
29	Golanda
30	Amili
31	Athola
32	Sayali
33	Karad
34	Falandi
35	Umarkui
36	Kherdi

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Union Territory Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan (Eco-sensitive Zone wise)
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environmental Impact Assessment Notification (Eco-sensitive Zone wise).
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986. (Eco-sensitive Zone wise).
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.